संचिका सं0–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का॰– ..... /
झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

राँची दिनांक ..... / 12 / 2015

विषय : **सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक– 20 पर दर्ज बनिया की उपजाति "सूढ़ी" को विलोपित करते हुए झारखण्ड राज्य की पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) में सम्मिलित करने के संबंध में।**

झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 की धारा–2 में अत्यन्त पिछड़े वर्गो एवं पिछड़े वर्गो को परिभाषित किया गया है तथा इसमें सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में क्रमशः विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा–14 (अ) में अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 में उल्लेखित किसी जाति / वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत है।

3. पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह / परामर्श कि " सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को झारखण्ड राज्य के पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–II) के क्रमांक–20 पर दर्ज बनिया की उपजाति सूढ़ी को विलोपित करते हुए सूढ़ी (सूड़ी / सूंड़ी) जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–I) में दर्ज किया जाय," के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2) में निम्नरूपेण परिवर्द्धन / विलोपन की जायः–

समावेशन(अनुसूची–1)

(i) सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को क्रमांक– 121 के बाद रिक्त क्रमांक– 122 पर दर्ज किया जाय।

विलोपन(अनुसूची–2)

(i) चूँकि सूढ़ी (सूड़ी / सूंडी) जाति को अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक – 122 पर समावेशित किया गया है, अतएव सूढ़ी जाति को पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची–2) के क्रमांक – 20 से विलोपित किया जाय।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एंव सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची–1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(रतन कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–14 / जा0नि0–03–08 / 2015 का०– 10760 / रांची, दिनांक 18/12/2015

प्रतिलिपि :– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

18.12.15

सरकार के सचिव।